कृषि प्रसार बुलेटिन : 1/2021

कृषक उत्पादक संगठनः

सीमान्त व लघु किसानों की समृद्धि का आधार

भाकृअनुप
ICAR

भाकृअनुप-कृषि तकनीकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान, क्षेत्र-II

(आई.एस.ओ. 9001-2015 प्रमाणित संस्थान)

काजरी परिसर, जोधपुर - 342 005 (राजस्थान)

कृषक उत्पादक संगठनः

सीमान्त व लघु किसानों की समृद्धि का आधार

भाकृअनुप
ICAR

भाकृअनुप-कृषि तकनीकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान, क्षेत्र-II

(आई.एस.ओ. 9001-2015 प्रमाणित संस्थान)

काजरी परिसर, जोधपुर - 342 005 (राजस्थान)

प्रकाशकः

निदेशक

कृषि तकनीकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान, क्षेत्र–II

जोधपुर, राजस्थान

संकलनकर्त्ताः

डॉ. एम.एस. मीना

प्रधान वैज्ञानिक (कृषि प्रसार)

डॉ. एस.के. सिंह

निदेशक

डॉ. एच.एन. मीना

वरिष्ठ वैज्ञानिक (शस्य विज्ञान)

प्रकाशन वर्ष

2021

उद्धरणः

मीना, एम.एस.; सिंह, एस.के. एवं मीना, एच.एन. (2021) **कृषक प्रसार संगठनः सीमान्त व लघु किसानों की समृद्धि का आधार**, कृषि प्रसार बुलेटिन–1/2021, कृषि तकनीकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान, क्षेत्र–II, जोधपुर से प्रकाशित, पृष्ठ 12

मुद्रकः

एवरग्रीन प्रिण्टर्स, जोधपुर। 9414128647

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	प्रस्तावना	1
2.	कृषक उत्पादक संगठन	2
3.	कृषक उत्पादन संगठनः लक्ष्य और उद्देश्य	2
4.	कृषक उत्पादक संगठन की गतिविधियाँ	3
5.	वर्तमान में कृषक उत्पादक संगठनों की चुनौतियाँ एवं कठिनाइयाँ	4
6.	कृषक उत्पादक संगठन नीति 2020	5
7.	कृषक उत्पादक संगठनों के गठन, संचालन एवं उनको आयपरक गतिविधियों से जोड़ने हेतु रणनीति	6
8.	एफपीओ के गठन और समूह क्षेत्र की पहचान के लिए व्यापक रणनीति	7
9.	राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन अभिकरण	7
10.	कार्यान्वयन करने वाली एजेन्सियां	8
11.	किसान उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहित करने वाली उत्कृष्ट कार्यप्रणालियाँ	8
12.	किसान उत्पादक संगठनों से संबंधित अधिक जानकारी के लिए संपर्क सूत्र	10

भाकृअनुप
ICAR

कृषक उत्पादक संगठनः

सीमान्त व लघु किसानों की समृद्धि का आधार

1. प्रस्तावना

देश में अधिकांशतय (86 प्रतिशत) लघु और सीमांत किसान है जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम कृषि जोत भूमि है। ये लघु और सीमांत किसान, उत्पादन और उसके बाद के चरणों में कई चुनौतियों का सामना करते हैं जैसे उत्पादन प्रौद्योगिकी तक पहुंच, उचित मूल्य पर गुणवत्तायुक्त आदान, वित्त, कस्टम हायरिंग, बीज उत्पादन, मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण, निवेश और सबसे महत्वपूर्ण बाजार तक पहुँच आदि है। संगठनों का गठन करने के लिए लघु और सीमांत किसानों को कृषक उत्पादक संगठनों के रूप में एकत्र करना, उत्पादन की लागत को कम करने, प्रति इकाई उत्पादकता बढ़ाने और बाजार तक आसान पहुँच की सुविधा देने के लिए सबसे प्रभावी और उपयुक्त संस्थागत तंत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है ताकि उनका सकल उत्पादन/आय बढ़ाई जा सके। इससे न केवल किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी काफी सुधार होगा और गांवों में ही ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कृषक उत्पादक संगठनों के महत्व को समझते हुए भारत सरकार द्वारा 2023–24 तक 10,000 नए कृषक उत्पादन संगठन के गठन की घोषणा केंद्रीय बजट में की गयी है। नयी केंद्रीय प्रायोजित योजना 10000 कृषक उत्पादक संगठनों के गठन और व्यापक पैमाने पर अपने उद्देश्य को पूरा करेगा और कृषि अर्थव्यवस्था को अधिक बढ़ावा मिलेगा।

2. कृषक उत्पादक संगठन

एफपीओ एक सामान्य नाम है, जिसका अर्थ है कृषक उत्पादक संगठन। जो कंपनी अधिनियम के भाग IXA के तहत पंजीकृत हैं या संबंधित राज्यों के सहकारी समितियों के अधिनियम के तहत पंजीकृत होते हैं। यह कृषि एवं इससे सम्बद्ध क्षेत्र के उत्पादन, विपणन के माध्यम से सामूहिक लाभ उठाने के उद्देश्य से गठित किया जाता है। इस योजना में राज्य की सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत कृषक उत्पादक संगठन (म्युचुअल एडेड या आत्मनिर्भर सहकारी समितियों को जो भी नाम से पुकारा जाता है) को चुनाव सहित सभी प्रकार के हस्तक्षेपों से मुक्त किया जाना है। कृषक उत्पादक संगठन के विकास और उसे प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और उप–कानूनों में उपयुक्त प्राविधान के माध्यम से कार्यवाही और प्रबंधन भी किया जाना है।

3. कृषक उत्पादक संगठनः लक्ष्य और उद्देश्य

- कृषि में सतत् और टिकाऊ आय, समग्र सामाजिक–आर्थिक विकास और कृषि समुदायों के उत्थान के लिए नई 10,000 एफपीओ बनाने के लिए समग्र और व्यापक आधारित सहायक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करना।
- कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए एफपीओ को कुशल, लागत प्रभावी, टिकाऊ और संसाधन उपयोगी बनाना।
- एफपीओ के गठन से लेकर 5 वर्ष तक सहयोग और समर्थन प्रदान करना। प्रबंधन, आदान, उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, बाजार तक आसान पहुँच, वित्तीय और प्रौद्योगिकी के उपयोग आदि पहलुओं पर भी सहयोग प्रदान करना।

- सरकार के समर्थन की अवधि के पश्चात् भी आर्थिक रूप से व्यवहारिक और आत्मनिर्भर बनने के लिए कृषि–उद्यमिता कौशल विकसित करने के लिए एफपीओ को प्रभावी क्षमता निर्माण प्रदान करना।

4. कृषक उत्पादक संगठन की गतिविधियाँ

एफपीओ निम्नलिखित सेवाओं एवं गतिविधियों में शामिल होते हैं:

- कम थोक दरों पर बीज, उर्वरक, कीटनाशक और इसी तरह के अन्य गुणवत्ता उत्पादन निवेशों की आपूर्ति।
- प्रति इकाई उत्पादन लागत को कम करने के हेतु सदस्यों के लिए कस्टम हायरिंग के आधार पर कल्टीवेटर, टिलर, फव्वारा, कंबाइन हार्वेस्टर और इसी तरह की अन्य उत्पादन और प्रसंस्करण यन्त्र/उपकरण उपलब्ध कराना।
- सस्ती दर पर सफाई, परख, छँटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग और कृषि प्रसंस्करण के अलावा मूल्यवर्धन, भंडारण और परिवहन सुविधाएं भी उपलब्ध कराना।
- बीज उत्पादन, मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती जैसी उच्च आय पैदा करने वाली गतिविधियाँ करना।
- किसान–सदस्यों की छोटी उपज का एकत्रीकरण और अधिक बिक्री योग्य बनाने के लिए मूल्यसवंर्धन।
- उत्पादन और विपणन में विवेकपूर्ण निर्णय के लिए उपज के बारे में बाजार की जानकारी को पहुँचाना।
- साझा लागत के आधार पर भंडारण, परिवहन, लोडिंग/अन–लोडिंग आदि सेवाओं को उपलब्ध कराना।
- बाजार में खरीदारों के लिए बेहतर कीमतों पर बाजार में उत्पाद और विपणन माध्यमों को उपलब्ध कराना।

5. वर्तमान में कृषक उत्पादक संगठनों की चुनौतियाँ एवं कठिनाइयाँ

- संगठनों के प्रशासनिक, व्यवसायिक, वित्तीय एवं वैद्यानिक प्रबन्धन हेतु कृषको में जानकारी व दक्षता का अभाव।
- सरकारी, सहकारी, अर्द्ध सरकारी संस्थाओं/विभागों तथा बैंकों से अपेक्षित सहयोग प्राप्त न होना ।
- कृषक उत्पादक संगठनों के ढ़ांचागत सुविधाओं के विकास हेतु कम ब्याज दर पर ऋण की उपलब्धता न होना।
- व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन हेतु कार्यशील पूंजी/अनुदान/ऋण की पर्याप्त उपलब्धता न होना।
- व्यापारिक गतिविधियों के संचालन हेतु विभिन्न प्रकार की औपचारिकताओं को पूरा करने में कठिनाइयाँ।
- सरकारी विभागो एवं कृषक उत्पादक संगठनों के मध्य समन्वय न होने के कारण विभिन्न केन्द्रीय/राज्य सरकार की योजनाओं का समुचित लाभ प्राप्त न होना।
- कृषक उत्पादक संगठनों के दैनिक कार्य–संचालन हेतु प्रशिक्षित मानव ससाधन का अभाव।
- कृषक उत्पादक संगठनों के प्रशिक्षण/क्षमतावर्धन एवं कौशल उन्नयन हेतु उपयुक्त सहयोगी सस्थाओं की कमी।

उपरोक्त चुनौतियों/कठिनाईयों के समाधान हेतु सरकार द्वारा कृषक उत्पादक संगठन नीति 2020 के अतंर्गत निम्न निर्णय लिये गये हैं:

6. कृषक उत्पादक संगठन नीति 2020

परिकल्पना (VISION)

कृषकों को संगाठित करके कम लागत में गुणवत्तायुक्त कृषि निवेशों की व्यवस्था व उपयुक्त नवीनतम तकनीकी को अपनाकर उच्च उत्पादन, उत्पादों के मूल्य संवर्द्धन एवं बेहतर मूल्य प्राप्त करने हेतु समुचित विपणन व्यवस्था कर कृषकों की आय में सतत् वृद्धि करना।

संकल्प (MISSION)

- आर्थिक रूप से सक्षम, लोकतान्त्रिक, स्वशासी कृषक उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देना।
- कृषक उत्पादक संगठनों के माध्यम से किसानों कों उचित मूल्य पर गुणवत्तायुक्त कृषि निवेश, नवीनतम तकनीकी, वित्तीय संसाधन आदि सुविधायें उपलब्ध कराना।
- कृषक उत्पादक संगठनों को प्रशिक्षण/क्षमतावर्धन, निवेश एवं विपणन सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए विशेष सरकारी, सहकारी एवं निजी संस्थाओं से जोड़ना।
- कृषि एवं सम्बन्धी क्षेत्र के उत्पादों को समुचित भण्डारण, प्रसंस्करण व मूल्य संवर्द्धन कर बेहतर मूल्य दिलाना।
- कृषि उत्पादों के विपणन में आ रही बाधाओं का समुचित निदान करना।
- कृषक उत्पादक संगठनों को आर्थिक एवं तकनीकी रूप से सक्षम बनाना जिससे वे स्वावलम्बी बनकर स्वयं के संसाधनों से अपनी व्यवसायिक गतिविधियों को सुचारू रूप से सम्पादित करते रहें।

7. कृषक उत्पादक संगठनों के गठन, संचालन एवं उनको आयपरक गतिविधियों से जोड़ने हेतु रणनीति

- कृषकों को संगठित होकर कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के लिये निवेश व्यवस्था एवं उत्पादों के विपणन से होने वाले लाभ से परिचित कराने हेतु जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- कृषक उत्पादक संगठनों के कार्यक्षेत्र का निर्धारण एवं व्यवसाय हेतु विशिष्ट कृषि उत्पादों का चयन एवं व्यावसायिक कार्ययोजना तैयार करना।
- ग्राम स्तर पर उत्पादक समूहों का गठन एवं आवश्यक कृषि उत्पादों हेतु निवेश आवश्यकता एवं विपणन योग्य उत्पादों की उपलब्धता का आंकलन।
- उत्पादक समूहों को संगठित कर उनमें से कार्यकारिणी समिति का चयन एवं उनमें से कृषक उत्पादक संगठनों का गठन हेतु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चयन ।
- विशेषज्ञ संस्थाओं द्वारा कार्मिकों का प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन।
- पंजीकरण हेतु आवश्यक कागजात को तैयार कराने में सहयोग एवं समन्वय स्थापित करना।
- आवश्यक निवेशों की व्यवस्था हेतु राजकीय/सहकारी एवं निजी संस्थाओं से समन्वय करना।
- भण्डारण, खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्द्धन गतिविधियों से जोड़ने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करना।

- कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्द्धन पश्चात सीधे उपभोक्ता तक पहुँचाने में सहयोग प्रदान करना।
- कृषक उत्पादक संगठनों को डिजीटल प्लेटफार्म उपलब्ध कराते हुए विभिन्न सुविधाओं का लाभ उठाना।
- कृषक उत्पादक संगठनों के सुचारू संचालन हेतु विधि एवं लेखा सम्बन्धी समस्या का समुचित निराकरण।

8. एफपीओ के गठन और समूह क्षेत्र की पहचान के लिए व्यापक रणनीति

एफपीओ का गठन और तरक्की, उत्पादन समूह क्षेत्र पर आधारित है, जिसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता गया है:

- एफपीओ के गठन और उसके प्रबंधन के उद्देश्य से ''उत्पादन समूह क्षेत्र'' का अर्थ है एक भौगोलिक क्षेत्र जिसमें कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र जैसे कि बागवानी या समान प्रकृति की फसलें उगाई/खेती की जाती है।
- इसलिए, उत्पादन और विपणन की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाने के लिए एक एफपीओ का गठन किया जा सकता है। इसमें जैविक और प्राकृतिक खेती को भी शामिल किया जा सकता है।

9. राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन अभिकरण

राष्ट्रीय स्तर पर, एसएफएसी द्वारा समग्र परियोजना मार्गदर्शन, एकीकृत पोर्टल के माध्यम से डेटा रखरखाव, सूचना प्रबंधन और निगरानी के लिए पारदर्शी तरीके से एक राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन अभिकरण की स्थापना की जाएगी। एनपीएमए तकनीकी टीम के साथ कृषि/बागवानी, विपणन, प्रसंस्करण, आईटी/एमआईएस, कानून और लेखा में विशेषज्ञता की पांच श्रेणियों के साथ सपूर्ण भारत में समग्र मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

10. कार्यान्वयन करने वाली एजेन्सियां

- सभी एफपीओ को समान, प्रभावी, बढ़ावा देने (ताकि 5 वर्षों में 10,000 नए एफपीओ के गठन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके) और आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाने के लिए शुरू में तीन कार्यान्वयन अभिकरण लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिम्मेदार होंगे।
- लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, एफपीओ को कंपनी अधिनियम के भाग IX A के तहत शामिल करने के लिए बनाएगी और बढ़ावा देगी।
- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, राज्यों की सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत होने के लिए एफपीओ को बनाएगा और बढ़ावा देगा।
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक उन एफपीओ का गठन एवं प्रोत्साहित करेगा जो या तो कंपनी अधिनियम के भाग IX A के तहत पंजीकृत हैं या राज्यों के किसी भी सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं।

11. किसान उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहित करने वाली उत्कृष्ट कार्यप्रणालियाँ

किसान उत्पादक संगठनों के गठन में कई संस्थान कार्यरत हैं। जिसमें कृषि विज्ञान केन्द्र मुख्य हैं। देश में कुल 721 कृषि विज्ञान केन्द्र कार्यरत हैं। एफपीओ के गठन एवं क्रियान्वयन के लिए निम्न उत्कृष्ट कार्यप्रणालियाँ अपनाई जा रही हैं जिससे वे प्रभावी ढ़ंग से कार्य कर सके।

1. सदस्यों को एफपीओ गठन के उद्देश्यों, भूमिका और जिम्मेदारी के बारे में जागरूक करना।

2. एफपीओ में होने वाले सभी लेन–देन एवं संचार में शत–प्रतिशत पारदर्शिता लाना।
3. नियमित अन्तराल पर एफपीओ के सदस्यों की बैठक आयोजित करना।
4. एफपीओ में होने वाली लाभ–हानि में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करना।
5. बाजार की माँग के अनुसार व्यापार के लिए फसल/किस्म का चयन करना।
6. निवेशों की प्रदाता कम्पनियों के साथ सीधा संबंध स्थापित करना।
7. कस्टम हायरिंग केन्द्रों को बढ़ावा देना।
8. श्रमिको के कल्याण के लिए श्रम बैंक का गठन करना जिससे श्रमिकों के समय की बचत हो और वे किसी भी भ्रम की स्थिति से बच सकें।
9. कृषि जोत की लागत को कम करना।
10. एफपीओ के द्वारा उत्पादों का संग्रहण करना और उन्हें अच्छी कीमत पर बेचना।
11. अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए उत्पादों का मूल्य संवर्धन करना।
12. सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और लाभों का पूर्ण ज्ञान रखना।
13. उत्पाद को सीधे उपभोक्ता को बेचकर लाभ को बढ़ाना।
14. मूल्य संवर्धन को अपनाना।
15. अनुबंध खेती को अपनाना।

16. सूचना तकनीकी (सोशल मीडिया–वाट्सऐप, वीडियो कॉल, इंटरनेट, ईमेल, फेसबुक) के उपयोग को सीखना एवं अपनी कार्यशैली में शामिल करना।

17. निरन्तर नये कृषि तकनीकी, बाजारीकरण, सरकारी योजनाओं आदि पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना।

18. एफपीओ के सभी भागीदारों जैसे बैंक, कृषि विभाग, कृषि व्यापार कम्पनियों, गैर सरकारी संगठन और अन्य एफपीओ आदि के साथ संबंधों को मजबूत बनाना।

19. एक एफपीओ से दूसरे एफपीओ के मध्य व्यापार को बढ़ाना।

20. सामाजिक सुधार के उपायों को लागू करना।

12. किसान उत्पादक संगठनों से संबंधित अधिक जानकारी के लिए संपर्क सूत्र

एफपीओ से सम्बन्धित अधिक जानकारी हेतु नजदीकी कृषि विज्ञान केन्द्र से सम्पर्क करें। राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली के कृषि विज्ञान केन्द्रों से सम्पर्क करने के लिए निम्न लिंक पर जायें।

1. **राजस्थान राज्य में स्थापित कृषि विज्ञान केन्द्र**
   https://atarijodhpur.res.in/senior-scientist-heads-rajasthan.html

2. **हरियाणा राज्य में स्थापित कृषि विज्ञान केन्द्र**
   https://atarijodhpur.res.in/senior-scientist-heads-haryana.html

3. **दिल्ली राज्य में स्थापित कृषि विज्ञान केन्द्र**
   https://atarijodhpur.res.in/senior-scientist-heads-delhi.html

देशभर में कृषि विज्ञान केन्द्रों की जानकारी के लिए संबंधित भाकृअनुप–कृषि तकनीकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थानों से संपर्क किया जा सकता है।

1. **भाकृअनुप-कृषि तकनीकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान, क्षेत्र-I**
   लुधियाना (पंजाब)
   https://atariz1.icar.gov.in/

2. **भाकृअनुप-कृषि तकनीकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान, क्षेत्र-II**
   जोधपुर (राजस्थान)
   https://atarijodhpur.res.in/

3. **भाकृअनुप-कृषि तकनीकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान, क्षेत्र-III**
   कानपुर (उत्तर प्रदेश)
   https://atarik.res.in/

4. **भाकृअनुप-कृषि तकनीकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान, क्षेत्र-IV**
   पटना (बिहार)
   https://ataripatna.res.in/

5. **भाकृअनुप-कृषि तकनीकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान, क्षेत्र-V**
   कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)
   http://www.atarikolkata.org/

6. **भाकृअनुप-कृषि तकनीकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान, क्षेत्र-VI**
   गुवाहाटी (असम)
   http://atariguwahati.in/

7. **भाकृअनुप-कृषि तकनीकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान, क्षेत्र-VII**
   बारापानी (मेघालय)
   http://icarzcu3.gov.in/

8. **भाकृअनुप-कृषि तकनीकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान, क्षेत्र-VIII**
पूना (महाराष्ट्र)
http://ataripune.icar.gov.in/

9. **भाकृअनुप-कृषि तकनीकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान, क्षेत्र-IX**
जबलपुर (मध्य प्रदेश)
http://zpd7icar.nic.in/

10. **भाकृअनुप-कृषि तकनीकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान, क्षेत्र-X**
हैदराबाद (तेलंगाना)
http://www.zpd5hyd.nic.in/

11. **भाकृअनुप-कृषि तकनीकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान, क्षेत्र-XI**
बेंगलुरू (कर्नाटक)
http://www.zpdviii.gov.in/

हर कदम, हर डगर
किसानों का हमसफर
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

Agrisearch with a human touch

भाकृअनुप
ICAR

भाकृअनुप-कृषि तकनीकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान, क्षेत्र-II

(आई.एस.ओ. 9001-2015)

काजरी परिसर, जोधपुर - 342 005 (राजस्थान)

फोनः 0291 2748412, 2740516, फैक्सः 0291-2744367

ईमेलः atarijodhpur@gmail.com, वेबसाईटः www.atarijodhpur.res.in